

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक:- रास्कूशिप/जय/AS&FE/397/CRC Grant दिशा-निर्देश/2023-24/ 1967

दिनांक:- 16/6/23

संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (CRC Grant) दिशा निर्देश 2023-24

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह-शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास एवं ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनीटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

प्रति CRC (PEEU /UCEEO) प्रावधित बजट				
कन्टेन्जेन्सी	मीटिंग एवं टीए	टी0एल0एम0	मोबिलिटी सपोर्ट	योग
15,000/-	5,000/-	1,000/-	1,000/-	22,000/-

समग्र शिक्षा अन्तर्गत सत्र 2023-24 में 10259 सीआरसी के लिये प्रावधित बजट राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(A) सीआरसी ग्रांट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं -

1. **कन्टेन्जेन्सी ग्रांट** से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फ्रीडिंग, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
2. **मीटिंग, टी.ए ग्रांट्स** द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद् द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी.ए. दिया जायेगा।
3. **टीएलएम ग्रांट** से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किया जाकर सीआरसी स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।
4. **मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट** - इसका उपयोग सीआरसी विद्यालय के संस्था-प्रधान अपने अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य - कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना। मीड-डे मील की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना। एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा / मानीटरिंग करना। सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्य-योजना बनवाकर क्रियान्वयन करना।

(B) मॉनीटरिंग -

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि (CRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2023-24 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनीटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2. जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।

(C) राशि उपयोग हेतु लेखा सम्बन्धी सामान्य निर्देश -

1. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि अति० जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी यूसीईईओ को प्रावधानानुसार राशि एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति दी जायेगी।
2. परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
3. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।
4. मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक राशि उपयोग करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राशि वसूली की जाएगी।
5. जिन सीआरसी के अधीनस्थ वर्तमान में एक भी विद्यालय नहीं है, उन्हें मीटिंग/टी०ए० की राशि जारी नहीं की जानी है।
6. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र-3 में परिषद मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
7. जिला/ब्लॉक/संकुल कार्यालय द्वारा संलग्न प्रपत्र में राशि उपयोग की सूचना निर्धारित समयवधि में प्रस्तुत करेंगे।

विशेष - परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र -1

ब्लॉक

जिला

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) का नाम

संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में प्राप्त संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) राशि रु. का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि..... है।

क. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
प्रभारी सीआरसी

प्रपत्र -2

कार्यालय ब्लॉक

जिला

ब्लॉक स्तरीय संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC को सत्र 2023-24 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मोबिलिटी सपोर्ट हेतु प्राप्त राशि रु. का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या पर इन्द्राज कर लिया है।

क. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि				खर्च की गई राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्रांट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मोबिलिटी सपोर्ट

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/सीबीईओ

प्रपत्र -3

जिला

जिला स्तरीय संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रुपये में से जिले की कुल .. सीआरसी को राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

परिशिष्ट- 1

CRCs Grant वित्तीय वर्ष 2023-.24

Academic support through Cluster Resource Center Budget 2023-24

Districtwise CRC

S.No.	District	Contingency Grant @ 0.15 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.05 (Rs. in lacs)		TLM @0.01 (Rs. in lacs)		Mobility Support @0.01 (Rs. in lacs)		Total Financial
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
1	AJMER	303	45.4500	303	15.1500	303	3.0300	303	3.0300	66.6600
2	ALWAR	527	79.0500	527	26.3500	527	5.2700	527	5.2700	115.9400
3	BANSWARA	350	52.5000	350	17.5000	350	3.5000	350	3.5000	77.0000
4	BARAN	227	34.0500	227	11.3500	227	2.2700	227	2.2700	49.9400
5	BARMER	494	74.1000	494	24.7000	494	4.9400	494	4.9400	108.6800
6	BHARATPUR	388	58.2000	388	19.4000	388	3.8800	388	3.8800	85.3600
7	BHILWARA	399	59.8500	399	19.9500	399	3.9900	399	3.9900	87.7800
8	BIKANER	303	45.4500	303	15.1500	303	3.0300	303	3.0300	66.6600

Academic support through Cluster Resource Center Budget 2023-24										
Districtwise CRC										
S.No.	District	Contingency Grant @ 0.15 (Rs. in lacs)		Meeting, TA @0.05 (Rs. in lacs)		TLM @0.01 (Rs. in lacs)		Mobility Support @0.01 (Rs. in lacs)		Total Financial
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	
9	BUNDI	193	28.9500	193	9.6500	193	1.9300	193	1.9300	42.4600
10	CHITTAURGARH	299	44.8500	299	14.9500	299	2.9900	299	2.9900	65.7800
11	CHURU	268	40.2000	268	13.4000	268	2.6800	268	2.6800	58.9600
12	DAUSA	239	35.8500	239	11.9500	239	2.3900	239	2.3900	52.5800
13	DHAULPUR	176	26.4000	176	8.8000	176	1.7600	176	1.7600	38.7200
14	DUNGARPUR	296	44.4000	296	14.8000	296	2.9600	296	2.9600	65.1200
15	GANGANAGAR	348	52.2000	348	17.4000	348	3.4800	348	3.4800	76.5600
16	HANUMANGARH	260	39.0000	260	13.0000	260	2.6000	260	2.6000	57.2000
17	JAIPUR	583	87.4500	583	29.1500	583	5.8300	583	5.8300	128.2600
18	JAISALMER	144	21.6000	144	7.2000	144	1.4400	144	1.4400	31.6800
19	JALOR	280	42.0000	280	14.0000	280	2.8000	280	2.8000	61.6000
20	JHALAWAR	259	38.8500	259	12.9500	259	2.5900	259	2.5900	56.9800
21	JHUNJHUNU	313	46.9500	313	15.6500	313	3.1300	313	3.1300	68.8600
22	JODHPUR	488	73.2000	488	24.4000	488	4.8800	488	4.8800	107.3600
23	KARAUJI	233	34.9500	233	11.6500	233	2.3300	233	2.3300	51.2600
24	KOTA	175	26.2500	175	8.7500	175	1.7500	175	1.7500	38.5000
25	NAGAUR	479	71.8500	479	23.9500	479	4.7900	479	4.7900	105.3800
26	PALI	335	50.2500	335	16.7500	335	3.3500	335	3.3500	73.7000
27	PRATAPGARH	168	25.2000	168	8.4000	168	1.6800	168	1.6800	36.9600
28	RAJSAIMAND	213	31.9500	213	10.6500	213	2.1300	213	2.1300	46.8600
29	SAWAI MADHOPUR	203	30.4500	203	10.1500	203	2.0300	203	2.0300	44.6600
30	SIKAR	353	52.9500	353	17.6500	353	3.5300	353	3.5300	77.6600
31	SIROHI	168	25.2000	168	8.4000	168	1.6800	168	1.6800	36.9600
32	TONK	239	35.8500	239	11.9500	239	2.3900	239	2.3900	52.5800
33	UDAIPUR	556	83.4000	556	27.8000	556	5.5600	556	5.5600	122.3200
TOTAL		10259	1538.8500	10259	512.9500	10259	102.5900	10259	102.5900	2256.9800

(डॉ० मोहन लाल यादव)
आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक: रास्कृशिप/जय/AS&FE/CRC Grant/2022-23/ 1967

दिनांक: 16/6/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
- 4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 5- निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- 6- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- 7- समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद, जयपुर।
- 8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- 9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- 10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- 11- समस्त पीईईओ एवं शहरी यूसीईईओ (सीआरसी)।
- 12- रक्षित प्रति।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Designation : Commissioner
Date: 2023.06.16 13:19:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4066520



SM